

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर  
मिसल नं० 183/18  
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 17-5-18

प्रार्थी श्री रूपलाल पुजारी मान ४१ पुजा :: निर्णय ::

जति पेटेल उग्र शकु नि० ओडवाडिया तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वारे अभियान 2018 लोक अदाजत ओडवाडिया दिनांक 17/05/2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ओडवाडिया पंचायत समिति दोवडा में स्थित खाता संख्या २७२ पर आराजी नं० ७९६ कुल २ बीघा १ बिस्वा किता १ योग रकबा २७ पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी मुसलाल नि० ओडवाडिया ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम ओडवाडिया के खसरा नं० २७२८ रकबा १ बीघा १ बिस्वा कुल किता १ योग रकबा १ की जमाबंदी सम्वत् २०७०-७३ की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा ओडवाडिया में स्थित खाता संख्या २७२ पर आराजी नं० ७९६ रकबा २७ कुल किता १ कुल रकबा २७ की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा ओडवाडिया मे स्थित खाता संख्या २७२ पर आराजी नं० ७९६ रकबा २७ कुल किता १ कुल रकबा २७ विवादग्रस्त असजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० ७५६ प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर